झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — नवम्(मॉनसून) सत्र

संख्या-05 — गुरुवार, दिनांक-04 अगस्त, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.50 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने आसन से अनुरोध किया कि जिन चार माननीय सदस्यों को दिनांक-04.08.2022 तक के लिए सदन से निलम्बित किया गया है उन्हें ससम्मान सदन में आने के अनुमति प्रदान की जाय जिसपर आसन द्वारा निम्न नियमन दिये गये-

''सहमति और असहमति संसदीय परम्परा का अलंकार है, परन्तु विरोध का संयमित और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल होना भी अत्यंत ही अधिक आवश्यक है। किसी भी पीठासीन पदाधिकारी के लिए माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाना अत्यंत ही कष्टदायक एवं दुःखद है, परन्तु सदन की गरिमा और संवैधानिक परम्पराओं की रक्षा के लिए यह कदम कभी-कभी न चाहते हुए भी उठाना पड़ता है। जिन चार माननीय सदस्यों सर्वश्री भानू प्रताप शाही, डुलू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल एवं श्री रणधीर कुमार सिंह, जिन्हें दिनांक-04.08.2022 तक सदन से निलम्बित किया गया था, उनका निलम्बन समाप्त किया जाता है। वे ससम्मान सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।''

इसके उपरांत माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आसन से अनुरोध किया कि उन माननीय सदस्यों को सदन में ससम्मान लाये जाने हेतु दो माननीय सदस्यों को नामित किया जाय तत्पश्चात् आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा एवं माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला को अधिकृत किया गया।

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री लोबिन हेम्ब्रम ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया कि आज दिनांक-04.08.2022 को विभिन्न अखबारों में पी.जी.टी. में बहाली हेतु सूचना प्रकाशित की गयी है जबकि राज्य में स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं हो सकी है, अतएव सरकार तत्काल इसपर रोक लगाये।

1. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-31

(क) उत्तरित कुल-04,	अ० सू०-61,	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	स०वि०स०,
	अ० सू०-62,	श्री समीर कुमार मोहंती,	स०वि०स०,
	अ० सू०-64,	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	स०वि०स०,
	अ० सू०-82,	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०।

नोट:- अ.सू.-64 एवं अ.सू.-82 के समरूप होने के कारण आसन द्वारा एक साथ पूछे जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

(ख) अपृष्ठ कुल-05,	अ० सू०-63,	श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०,
	अ० सू०-65,	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	स०वि०स०,

अ० सू०-66, श्रीमती पुष्पा देवी, स०वि०स०,
अ० सू०-67, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०,
अ० सू०-68, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-22, अ० सू०-69 से लेकर अ० सू०-91 तक (अ.सू.-82 को छोड़कर)।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य विभिन्न माँगों को लेकर अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे भारी अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.37 बजे पूर्वा० से लेकर 12.50 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी जिस कारण अन्य प्रश्न नहीं लिये जा सके।)

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2. शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

3. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा आसन की अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में 31मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 31मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य के राज्य वित्त से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 31मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत की नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा तत्पश्चात् उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनीरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होगा, यह प्रस्ताव सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

4.विधायी कार्य:-

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी माँगों के समर्थन में सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात् विरोधस्वरूप सदन का परित्याग किया)

(क) कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-26 तक, अनुसूची- खण्ड 01 से खण्ड-08 तक, कण्डिका-09 से 12 एवं खण्ड-10 से 13, खण्ड-01 से, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर

महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी सदन से अनुपस्थित रहे।

(ख) अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-44 तक, अनुसूची, खण्ड 01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी सदन से अनुपस्थित रहे।

(ग) झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-16 तक, खण्ड-17, खण्ड 01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी सदन से अनुपस्थित रहे।

तदुपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये तक के लिए स्थगित की गयी।

रांची,
दिनांक- 04 अगस्त, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।